बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र07–विविध–16/2015– 1222 खाद्य, पटना/दिनांक– 08-03-17

प्रेषक,

भरत कुमार दुबे,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– जन वितरण प्रणाली व्यवस्था के अन्तर्गत नयी अनुज्ञप्ति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.03.2016 एवं सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प 963 दिनांक 20.01.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समादेश याचिका संख्या– 4453/2016 के संदर्भ में दिनांक 14.12.2016 को दिए गये न्यायादेश में जन वितरण प्रणाली की नयी अनुज्ञप्ति निर्गत करने पर लगायी रोक को हटा दिया गया है (प्रतिलिपि संलग्न)।

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका–6 में उपर्युक्त वर्णित आरक्षण व्यवस्था में "महिलाओं को दिया जाने वाला 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण" का प्रावधान लागू होगा या नहीं ? के बिन्दू पर सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श मांगा गया था।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा परामर्शित किया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–2342 दिनांक 15.02.2016 के अनुसार महिलाओं को दिये जाने वाला 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान को लागू किया जाना भी युक्तिसंगत एवं व्यवहारिक प्रतीत होता है।

अतएव माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समादेश याचिका संख्या– 4453/2016 के संदर्भ में दिनांक 14.12.2016 को दिए गये न्यायादेश के आलोक में बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 में वर्णित प्रावधानों एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–2342 दिनांक 15.02.2016 (प्रतिलिपि संलग्न) में निहित प्रावधानों के तहत जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्तियों का रोस्टर तैयार किया जाय एवं रिक्तियों की संख्या के आधार पर नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु मुख्य समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालते हुए अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय एवं रिक्ति की कोटिवार विवरणी विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक प्र07–विविध–16/2015– 1222 खाद्य, पटना/दिनांक– 09-03-17

प्रतिलिपि – अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति) पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/ सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

D:\M_2016\Soc_7\Vividh.doc

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

Civil Writ Jurisdiction Case No.4453 of 2016

Hanuman Prasad, son of Sri Jai Narayan Yadav, Resident of Village- Kachada, P.S.- Benipatti, P.O.- Bankatta, District- Madhubani.

.... Petitioner/s

Versus

1. The Union of India through the Secretary, Department of Food and Public Distribution, New Delhi.
2. The State of Bihar, through Chief Secretary, Bihar, Patna.
3. The Principal Secretary, General Administrative Department, Government of Bihar, Patna.
4. The Principal Secretary, Law Department, Bihar, Patna.
5. The Principal Secretary, Food and Consumer Protection Department, Government of Bihar, Patna.
6. The Additional Secretary, Food and Consumer Protection Department, Government of Bihar, Patna.
7. The Joint Secretary, Food and Consumer Protection Department, Government of Bihar, Patna.
8. The Deputy Secretary, Food and Consumer Protection Department, Government of Bihar, Patna,
9. The Divisional Commissioner, Saran (Chapra) Division, Bihar.
10. The Divisional Commissioner, Darbhanga Division, Darbhanga.
11. The Divisional Commissioner, Purnea Division, Purnea.
12. The Divisional Commissioner, Bhagalpur Division, Bhagalpur.
13. The Divisional Commissioner, Munger Division, Munger.
14. The Divisional Commissioner, Patna Division, Patna.
15. District Magistrate, West Champaran (Bettiah).
16. District Magistrate, East Champaran (Motihari).
17. District Magistrate, Muzaffarpur.
18. District Magistrate, Sitamarhi.
19. District Magistrate, Sheohar.
20. District Magistrate, Vaishali.
21. District Magistrate, Saran (Chapra).
22. District Magistrate, Siwan.

23. District Magistrate, Gopalganj.
24. District Magistrate, Darbhanga.
25. District Magistrate, Madhubani.
26. District Magistrate, Samastipur.
27. District Magistrate, Begusarai.
28. District Magistrate, Saharsa.
29. District Magistrate, Madhepura.
30. District Magistrate, Supaul.
31. District Magistrate, Purnea.
32. District Magistrate, Katihar.
33. District Magistrate, Araria.
34. District Magistrate, Kishanganj.
35. District Magistrate, Bhagalpur.
36. District Magistrate, Banka.
37. District Magistrate, Munger.
38. District Magistrate, Jamui.
39. District Magistrate, Khagaria.
40. District Magistrate, Lakhisarai.
41. District Magistrate, Sheikhpura.
42. District Magistrate, Patna.
43. District Magistrate, Nalanda (Biharsharif).
44. District Magistrate, Bhojpur (Arrah).
45. District Magistrate, Rohtas (Sasaram).
46. District Magistrate, Buxar.
47. District Magistrate, Kaimur (Bhabua).
48. District Magistrate, Gaya.
49. District Magistrate, Nawada.
50. District Magistrate, Aurangabad.
51. District Magistrate, Jehanabad.
52. District Magistrate, Arwal.

.... Respondent/s

Appearance :

For the Petitioner/s : Mr. Ranjeet Kumar, Advocate

Ms. Ranjeeta Singh, Advocate

Mr. Akash Keshav, Advocate

Mr. Kundan Kumar, Advocate.

For the Respondent/s-State : Mr. Patanjali Rishi, A.C. to A.A.G.-10

For the Respondent- UOI : Mr. Tuhin Shanker, C.G.C.

For the Interveners : Mr. Sunil Kr. Verma, Advocate

Mr. Suman Kr. Verma, Advocate

Mr. Pramod Kr. Prasad, Advocate

Mr. Anish Kumar, Advocate

Mr. Chakrapani, Advocate

Mr. Ashok K. Karna, Advocate

Mr. Tuhin Shanker Advocate

CORAM: HONOURABLE THE ACTING CHIEF JUSTICE
And
HONOURABLE MR. JUSTICE ARVIND SRIVASTAVA

ORAL JUDGMENT

(Per: HONOURABLE THE ACTING CHIEF JUSTICE)
Date: 14-12-2016

The petitioner in the present writ application in public interest has sought directions to implement the Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015 issued by the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distributions), Government of India, New Delhi as published on 20th March, 2015.

The grievance of the petitioner was that although in terms of such Control Order, the State Government was required to publish the fresh scheme, but the PDS licenses are being issued under the old Control Order.

Learned counsel for the State has pointed out that in

139

fact, in terms of the Control Order issued by the Government of India, the State has promulgated Bihar Targeted Public Distribution System (Control) order, 2016, as published on 10th March, 2016 and that the licenses shall be issued only in terms of the Control Order published on 10th of March, 2016.

In view of the fact that the State has framed a Control Order as published on 10th of March, 2016, the licenses for implementing the Public Distribution System shall be issued in terms of the said Control Order and in accordance with law.

With the said direction, the writ petition stands disposed of. All interim orders granted earlier shall stand vacated and interlocutory applications are disposed of having rendered infructuous.

(Hemant Gupta, ACJ)

(Arvind Srivastava, J)

Sunil

AFR/NAFR	N. A. F. R.
CAV DATE	N. A.
Uploading Date	16.12.2016
Transmission Date	

Date of Requisition	23-12-2016	Date of Delivery	23-12-2016	Date of uploading on website.	16-12-2016
Number of Pages		4	Total Cost(Rs.)		20\-

CERTIFIED TO BE TRUE COPY
DEPUTY REGISTRAR
COPYING (COMPUTER) DEPARTMENT
PATNA HIGH COURT
"authorized under Section 76 of Act 1 of 1872"

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 पौष 1937 (श0)
(सं0 पटना 60) पटना, बुधवार, 20 जनवरी 2016

सं0 11/आ0नी0–I–11/2015 सा0प्र0—963

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

20 जनवरी 2016

विषयः–बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराने के संबंध में।

राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं समाज में महिलाओं की सक्रिय एवं सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार के समक्ष बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराने का मामला विचाराधीन था।

वर्त्तमान में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (अधिनियम–3, 1992) (समय–समय पर यथा संशोधित), के प्रावधानों के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है। इस आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को अक्षुण्ण रखा जायेगा।

उक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार राज्याधीन सेवाओं में 3 प्रतिशत पद पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अतः इस 3 प्रतिशत आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए आरक्षित एवं गैर–आरक्षित वर्गों के शेष 97 प्रतिशत पदों के विरूद्ध 35 प्रतिशत पदों को महिलाओं के लिए निम्न प्रकार से आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव है :–

क्र0	वर्त्तमान प्रावधान		35 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने पर प्रावधान		अभ्युक्ति
	आरक्षण कोटि	आरक्षण का प्रतिशत	कोटिवार महिलाओं का प्रतिशत	अनुमान्य प्रतिशत	
1	अनु0 जाति	16%	16% का 35% = 5.60%	5.60%	
2	अनु0 जन जाति	1%	1% का 35% = 0.35%	0.35%	
3	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	18%	18% का 35%=6.30%	6.30%	
4	पिछड़ा वर्ग	12%	12% का 35% =4.20%	4.20%	
5.	सामान्य (गैर–आरक्षित)	50%	50% का 35%=17.50%	17.50%	3 प्रतिशत पद, जो पूर्व से पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है, उपर्युक्त प्रावधान के अतिरिक्त होंगे।

योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्ती वर्ष में संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित) के पुरूष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा।

उल्लेखनीय है कि, यह आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण होगा।

विवेचित 35 प्रतिशत महिलाओं के चयन के संबंध में प्रक्रिया एवं रोस्टर बिन्दु का निर्धारण अलग से किया जायेगा।

आदेश:–आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना/केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)/पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना/बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र राम,

सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 60-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

— : संकल्प :—

विषयः— बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराने के संबंध में।

राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं समाज में महिलाओं की सक्रिय एवं सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार के समक्ष बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराने का मामला विचाराधीन था।

वर्त्तमान में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (अधिनियम–3, 1992) (समय–समय पर यथा संशोधित), के प्रावधानों के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है। इस आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को अक्षुण्ण रखा जायेगा।

उक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार राज्याधीन सेवाओं में 3 प्रतिशत पद पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अतः इस 3 प्रतिशत आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए आरक्षित एवं गैर–आरक्षित वर्गों के शेष 97 प्रतिशत पदों के विरूद्ध 35 प्रतिशत पदों को महिलाओं के लिए निम्न प्रकार से आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव है :–

क्र0	वर्त्तमान प्रावधान		35 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने पर प्रावधान		अभ्युक्ति
	आरक्षण कोटि	आरक्षण का प्रतिशत	कोटिवार महिलाओं का प्रतिशत	अनुमान्य प्रतिशत	
1	अनु0 जाति	16%	16% का 35% = 5.60%	5.60%	
2	अनु0 जन जाति	1%	1% का 35% = 0.35%	0.35%	
3	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	18%	18% का 35%=6.30%	6.30%	
4	पिछड़ा वर्ग	12%	12% का 35% =4.20%	4.20%	
5.	सामान्य (गैर–आरक्षित)	50%	50% का 35%=17.50%	17.50%	3 प्रतिशत पद, जो पूर्व से पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है, उपर्युक्त प्रावधान के अतिरिक्त होंगे।

योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्त्ती वर्ष में संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित) के पुरूष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा।

उल्लेखनीय है कि यह आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण होगा।

विवेचित 35 प्रतिशत महिलाओं के चयन के संबंध में प्रक्रिया एवं रोस्टर बिन्दु का निर्धारण अलग से किया जायेगा।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना/केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)/पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना/बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

20.1.2016

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—11/आ0नी0—I—11/2015 सा0प्र0 963 पटना—15, दिनांक— 20-1-16

प्रतिलिपि—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

20.1.2016

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—11/आ0नी0—I—11/2015 सा0प्र0 963 पटना—15, दिनांक— 20-1-16

प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, बिहार, पटना/सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना, उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विश्वविद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें।

20.1.2016

सरकार के अपर सचिव।

134

66

पत्र संख्या—11/आ0नी0—I—11/2015 सा0प्र0 2342

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।

पटना—15, दिनांक 15-2-16

विषय :— **बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए प्रावधानित 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के क्रम में चयन की प्रक्रिया एवं रोस्टर बिन्दु का निर्धारण के संबंध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या—963 दिनांक—20.01.2016 द्वारा राज्य की सेवाओं में सभी स्तर एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में सभी वर्गों की महिलाओं हेतु 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस क्रम में यह भी प्रावधानित है कि योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्त्ती वर्ष में संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित) के पुरूष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा। विवेचित संकल्प में 35 प्रतिशत महिलाओं के चयन के संबंध में प्रक्रिया एवं रोस्टर बिन्दु का निर्धारण अलग से करने का निर्णय लिया गया है।

विदित हो कि विवेचित आरक्षण का प्रावधान करने के क्रम में विद्वान महाधिवक्ता, बिहार का परामर्श प्राप्त किया गया हैं, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है :—

"However, a 3 Judge Bench of the Hon'ble Supreme Court in the case of Rajesh Kumar Daria Vs. Rajasthan Public Service Commission & Others reported in (2007) 8 SCC 785 quoted with approval in paragraph No.7 the method of implementing special reservation, which is a horizontal reservation as explained in the case of Anil Kumar Gupta Vs. the State of U.P. reported in (1995) 5 SCC 173 at page-185.

The proper and correct course is to first fill up the OC (open competition) (50%) on the basis of merit, then fill up each of the social reservation quotas i.e. SC, ST, and BC; the third step would be to find out how

many candidates belonging to special reservations have been selected on the above basis. If the quota fixed for horizontal reservation is already satisfied- in case it is an overall horizontal reservation-no further question arises. But if it is not so satisfied, the requisite number of special reservation candidates shall have to be taken and adjusted/accommodated against their respective social reservation categories by deleting the corresponding number of candidates there from. (If however, it is a case of compartmentalized horizontal reservation, then the process of verification and Adjustment/ accommodation as stated above should be applied separately to each of the vertical reservation. In such a case, the reservation of fifteen percent in favour of special categories, overall, may be satisfied or may not be satisfied)."

महाधिवक्ता, बिहार के उपर्युक्त परामर्श के आलोक में 35 प्रतिशत महिलाओं के चयन के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण क्रमवार निम्नवत् किया जाता है :–

सुविधा की दृष्टि से 100 पदों पर नियुक्ति के विरूद्ध चयन की प्रक्रिया का उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

(क) सर्वप्रथम 50 प्रतिशत मेधा (मेरिट) के आधार पर चयन किया जायेगा। इसमें आरक्षित वर्ग/गैर आरक्षित वर्ग के सभी महिला एवं पुरूष अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं।

(ख) दूसरे चरण में आरक्षित वर्ग के 50 प्रतिशत पदों हेतु चयन किया जायेगा। इसमें 47 प्रतिशत के विरूद्ध आरक्षित वर्ग के सभी महिला एवं पुरूष अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं, जबकि शेष 3 प्रतिशत पद सभी आरक्षित वर्ग की मात्र महिलाओं हेतु अनुमान्य है।

(ग) चयन के तीसरे चरण में इसकी गणना की जाएगी कि 100 पदों हेतु चयनित सूची में बिना 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के अलग–अलग आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में कितनी महिलाएँ चयनित हो पायी हैं। यदि उनका 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कोटा पूरा हो गया हो, तो यह चयन सूची नियुक्ति हेतु अंतिम मानी जायेगी। यदि इस आधार पर महिलाओं का 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कोटा पूर्ण नहीं होता है, तो जिस वर्ग विशेष (आरक्षित/गैर आरक्षित) में महिलाओं की संख्या में कमी होगी, उस कोटि में 35 प्रतिशत की सीमा तक इसे पूरा करने के लिए मेधा क्रम में न्यूनतम स्थान वाले पुरूष अभ्यर्थियों को उतनी संख्या में हटाया जायेगा जिससे कि 35 प्रतिशत की महिलाओं की आरक्षण सीमा पूरी हो जाय। यदि न्यूनतम स्थान पर महिला अभ्यर्थी होंगी, तो उन्हें न हटाकर मेधा क्रम में उनसे ऊपर वाले पुरूष अभ्यर्थी को हटाया जायेगा। इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है :–

संकल्प संख्या–963 दिनांक–20.01.2016 में निहित प्रावधानानुसार गैर आरक्षित वर्ग में 50 का 35% = 17.50 अर्थात 17 पद महिलाओं को अनुमान्य होगा, परन्तु यदि 10 महिलाएँ ही चयनित हो पाई हों, तो मेधा क्रम में नीचे से 7 (सात) पुरूष अभ्यर्थियों को (महिलाओं को नहीं) हटाकर मेधा क्रम (Open merit category) के अनुसार 7 (सात) महिला अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जायेगा। इसी प्रकार अनुसूचित जाति में 16 का 35% = 5.60 अर्थात 6 पद महिलाओं को अनुमान्य होगा, परन्तु यदि 4 (चार) महिलाएँ ही चयनित हो पाई हों, तो मेधा क्रम में नीचे से 2 (दो) पुरूष अभ्यर्थियों को (महिलाओं को नहीं) हटाकर 2 (दो) अनुसूचित जाति के महिला अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जायेगा। समरूप प्रक्रिया अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग में भी अपनायी जायेगी।

(132

परिशिष्ट

35 प्रतिशत महिला हेतु क्षैतिज आरक्षण संबंधी मॉडल रोस्टर

(i) गैर आरक्षित वर्ग–	रोस्टर बिन्दु–	3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85, 91 एवं 97 = 17 पद।
(ii) अनुसूचित जाति–	रोस्टर बिन्दु–	10, 24, 40, 62, 78 एवं 98 = 06 पद।
(iii) अनुसूचित जनजाति–	रोस्टर बिन्दु–	(शून्य) = 0 पद
(iv) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–	रोस्टर बिन्दु –	8, 26, 42, 60, 76, 94 एवं 100 = 07 पद।
(v) पिछड़ा वर्ग–	रोस्टर बिन्दु–	12, 38, 64 एवं 90 = 04 पद।
		कुल–34 पद।

नोटः–

1. महिलाओं हेतु संदर्भित 35 प्रतिशत आरक्षण 50 प्रतिशत मेधा सूची तथा 47 प्रतिशत आरक्षित सूची अर्थात कुल–97 प्रतिशत के विरूद्ध दी जा रही है। यह संख्या 34 आती है, जिसके आधार पर गैर आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित वर्ग में से प्रत्येक को 17 पद अनुमान्य कराये जायेंगे।
2. उल्लेखनीय है कि 100 बिन्दुओं के आदर्श रोस्टर में अनुसूचित जनजाति के लिए मात्र 01 बिन्दु अनुमान्य है। इसलिए प्रत्येक 300 रिक्त पदों में अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमान्य तीसरा पद (रोस्टर बिन्दु–244) अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षित किया जा सकता है। जब अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए 01 पद अर्थात रोस्टर बिन्दु–244 आरक्षित किया जायेगा, वैसी स्थिति में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग में महिलाओं के लिए मात्र 06 बिन्दु ही अनुमान्य किया जा सकता है, ताकि आरक्षण प्रतिशत अपरिवर्तित रहे।

50 प्रतिशत मेरिट तथा 50 प्रतिशत आरक्षित वर्ग के आधार पर नियमानुसार चयन सूची तैयार करने के उपरान्त महिलाओं की संख्या स्वतः 35 प्रतिशत से अधिक हो जाने की स्थिति में इसे यथावत् रखा जायेगा।

महिलाओं हेतु संदर्भित 35 प्रतिशत आरक्षण 50 प्रतिशत मेधा सूची तथा 47 प्रतिशत आरक्षित सूची अर्थात कुल–97 प्रतिशत के विरूद्ध दी जा रही है। यह संख्या 34 आती है, जिसके आधार पर गैर आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित वर्ग में से प्रत्येक को 17 पद अनुमान्य कराये जायेंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–458 दिनांक–30.09.2002 द्वारा नियुक्ति हेतु परिचारित 100 बिन्दुओं का मॉडल रोस्टर के अनुसार महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के आधार पर रोस्टर बिन्दु का निर्धारण संबंधी परिशिष्ट इस परिपत्र के साथ संलग्न है।

अनु0–यथोक्त्।

विश्वासभाजन

(राजेन्द्र राम) 15/2/2016

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ0नी0–I–11/2015 सा0प्र0 2342 / पटना–15, दिनांक 15-2-16

प्रतिलिपि–उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना/ सभी विश्वविद्यालय/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग/सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, बिहार, पटना/ सचिव, उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0टी0 मैनेंजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त्।

15/2/2016

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ0नी0–I–11/2015 सा0प्र0 2342 / पटना–15, दिनांक 15-2-16

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलज़ारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

15/2/2016

सरकार के अपर सचिव।

FILE PATH-O:/NAVLESH – 35% Reservation